न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 146/2017 (2017/00322)   दर्ज दिनांक 28.11.2017
वाद– अन्तर्गत धारा –88 आर0टी0ए0

शीर्षक

बालु आत्मज रंगलाल ढोली निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ता वादीः– श्री सुनिल कुमार जैन
प्रतिवादीः– पेरोकार सरकार

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::

निर्णय

दिनांक 04.09.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत वाद बाबत् घोषणा का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम लाखोला, पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में निम्न आराजियात अवस्थित चली आ रही है, जिसके आराजी संख्या 1064 रकबा 0.60, 1065 रकबा 0.47 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.07 हे0 भूमियां अवस्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के अलावा अन्य सह खातेदारान के नाम दर्ज अभिलेख है।

यह कि वादी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः–

बिहारी आत्मज एकलिंग ढोली

रंगलाल — बालु (वादी)
भूरा — लाऔलाद फौत
नाथु — [illegible] [illegible] राजु
नानुदेवी — फौत

रामेश्वर कंकु नोरार कमला चांदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

यह कि विवादित आराजियात में वादी का 1/4 हक व हिस्सा उसके पिता रंगलाल की मृत्यु उपरांत विरासत के आधार पर दर्ज अभिलेख आना चाहिए था लेकिन त्रुटिवश वादी के उक्त हक व हिस्से को राजस्व अभिलेख में वादी के पिता रंगलाल की मृतयु उपरांत बालु आत्मज बिहारी लाल अंकित कर दिया गया जबकि बिहारी लाल वादी के दादा लगते है। उक्त तथ्य की विश्वसनीयता वादी द्वारा विवादित आराजियात के संबंध में प्रस्तुत हाल जमाबंदी से ही स्पष्ट है। जिसमें वादी के साथ अन्य सह खातेदार का भी संयुक्त रूप से 1/4 हक व हिस्सा पृथक रूप से दर्ज अभिलेख है, जिसमें वादी के पिता का नाम रंगलाल अंकित कर रखा है जो वास्तविक होकर सही अंकित है।

यह कि विवादित आराजियात में निहित 1/4 हक व हिस्सा जो हाल राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से बालु आत्मज रंगलाल के बजाए बालु आत्मज बिहारीलाल के नाम अंकित कर रखा है, जिसे दुरूस्ती उपरांत बालु आत्मज रंगलाल का अंकन वर्तमान जमाबंदी में अंकन किया जाना आवश्यक है और इस हेतु वादी प्रतिवादी तहसीलदार सहाड़ा के कार्यालय में दिनांक 05.06.2017 को उपस्थित होकर उक्त दुरूस्ती बाबत् निवेदन किया तथा तत्पश्चात् राज्य सरकार की ओर से आयोजित राजस्व केम्प अभियान लाखोला पर भी वादी माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी व प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित हो उक्त दुरूस्ती बाबत् पुनः निवेदन किया , जंहा वादी को प्रतिवादी द्वारा यह कहा गया ि कइस संबंध में सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना यह दुरूस्ती संभव नहीं है। जिससे वादी को यह वाद पत्र प्ररतुत किये जाने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं होने से यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादर फरमायी जावें कि विवादित आराजियात की वर्तमान राजस्व जमांबंदी में अंकित 1/4 हक व हिस्सा जो बालु आत्मज बिहारी के नाम अंकित है उसके स्थान पर बालु आत्मज रंगलाल अंकित किया जावें।

वादीगण द्वारा प्ररतुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 28.11.2017 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 पेरोकार सरकार द्वारा मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक /राजस्व/20/36 दिनांक 07.01.2020 को पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम लाखोला के आराजी नं0 1064 रकबा 0.60 हे0 तथा आराजी नं0 1065 रकबा 0.47 हे0 कुल किता 02 रकबा 1.07 हे0 की मौका व रेकार्ड अनुसार आवश्यक जांच की गई, [illegible] पिता बिहारी 1/4 दर्ज रेकार्ड होकर मौके पर उपस्थित मौतबिरान [illegible] हुआ कि बिहारी पिता एकलिंग ढोली के चार पुत्र [illegible] जिनकी मृत्यु के बाद 1–बालु पिता रंगाल, 2–[illegible], 3–रामेश्वर, कंकू, नोसर कमला पिता नाथू, चांदी बेवा नाथू, 4– भैरू, [illegible] राजू पिता बंशी ढोली है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में बालु पिता बिहारी के बजाए बालु पिता रंगलाल ढोली दर्ज किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:20 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या:— 146/2017 (2017/00322)
वाद— अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0

वादी अधिवक्ता अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रतिवादी तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर की मौका रिपोर्ट को ही जवाब इकबाली होने से उक्त प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहा एवं वादपत्र डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तहसीलदार सहाड़ा के अनुसार एवं दस्तावेजों के अवलोकन पर वादी का वाद बाबत घोषणा यह न्यायालय वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझतता है अतएवं—

—: आदेश :—

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व ग्राम लाखोला, पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1064 रकबा 0.60, 1065 रकबा 0.47 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.07 हे0 की वर्तातान जमाबंदी में अंकित 1/4 हक व हिस्सा जो बालु पिता बिहारी के नाम अंकित है उसके स्थान पर बालु आत्मज रंगलाल राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 3.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 146/2017 (2017/00322) दर्ज दिनांक 28.11.2017
वाद– अन्तर्गत धारा –88 आर0टी0ए0

शीर्षक

वालु आत्मज रंगलाल ढोली निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ता वादीः– श्री सुनिल कुमार जैन
प्रतिवादीः– पेरोकार सरकार

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार जैन , प्रतिवादी पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 04.09.2020 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती हैं कि -----×------ और इस वाद के खर्च लेखे -----×------ रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर -----×------ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित -----×------ द्वारा -----×------ को दी जाए।

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व ग्राम लाखोला, पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आवादी में स्थित आराजी संख्या 1064 रकबा 0.60, 1065 रकबा 0.47 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.07 हे0 की वर्तमान जमाबंदी में अंकित 1/4 हक व हिस्सा जो बालु पिता बिहारी के नाम अंकित है उसके स्थान पर बालु आत्मज रंगलाल राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री आज दिनांक 04.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

Scanned with CamScanner